रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 69] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 1978/चैत्र 17, 1900
No. 69] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 1978/CHAITRA 17, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1978

सं० प्रतिअदायगी/सा० सू० 18/78.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार

समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिश्रदायगी/सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है —

1. शीर्षक संख्या 58 और उप-क्रमांक 5801 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

शीर्ष	उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिश्रदायगी की दर
58		पूर्णत या भागत: ऐलाबास्टर या स्वर्ण या चांदी से बनी हुई वस्तुएं	
	5801	पूर्णत या भागत: ऐलाबास्टर या स्वर्ण या चांदी से बनी हुई वस्तुएं, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है।	ब्राड दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत की जाती है।

2 वर्तमान उप-क्रमांक 5804 और तत्संबंधी प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी।

सी० डी० रंगाचारी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Indirect Taxes Division)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 7th April, 1978

No. DRAWBACK/PN-18/78 :—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

1. For Heading No. 58 and sub-serial No. 5801 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Heading	Sub-S.No.	Description of goods	Rate of drawback
58		ARTICLES MADE WHOLLY OR PARTLY OF ALABASTER OR GOLD OR SILVER.	
	5801	Articles made wholly or partly of alabaster or gold or silver not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on individual application from manufacturer/exporter.

2. The existing sub-serial No. 5804 and the entries relating thereto shall be deleted.

C.D. RANGACHARI, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978